

14/5/22

पत्रावली वादी अधिकारी के माध्यम से निवेदन पर लोक  
अदालत में पेश हुई। वादी ने जॉर वकील को वाद  
नोट डेस में खारिज करने का निवेदन किया।  
सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया।  
पत्रावली का वाद जॉर वकील नोट डेस में खारिज  
किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमाह होकर  
नाम से काम हो। कारिबल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Not Press  






